राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 41(445)पराविं/14वीं/सत्र–6/विसप्र/परा/2016/1314 जयपुर,दिनांक 22/6/16

मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद समस्त।

विषयः–पंचायती राज विभाग के राजपत्रित अधिकारियों की अचल सम्पत्ति विवरण के अभाव में पदोन्नति एवं एक जुलाई को दी जाने वाली वेतन वृद्धि पर विचार नही किया जाने के संबंध में।

प्रसंगः–विभागीय पत्र क्रमांक 177 दिनांक 25.1.16, 732 दिनांक 31.3.16 एवं 1265 दिनांक 15.6.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा कार्मिक विभाग के निर्देशानुसार समस्त राजपत्रित अधिकारियों के अचल सम्पत्ति के विवरण कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाये जाने हेतु आपके अधीन कार्यरत पंचायती राज विभाग के पदस्थापित राजपत्रित अधिकारियों यथा राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के अधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता इत्यादि के अचल सम्पत्ति का विवरण दिनांक 1.1.2016 की स्थिति में प्राप्त कर आवश्यक रूप से विभाग को भिजवाने हेतु लिखा गया था। परन्तु कुछ अधिकारियों के अचल सम्पत्ति के विवरण आज दिनांक तक भी अप्राप्त है।

अतः आपके अधीन कार्यरत पंचायती राज विभाग के राजपत्रित अधिकारियों जिनका अचल सम्पत्ति विवरण कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध नहीं है उनको विजीलेन्स क्लीयरेंस नही दी जावे। अचल सम्पत्ति विवरण के अभाव में पदोन्नति एवं एक जुलाई को दी जाने वाली वेतन वृद्धि पर विचार नही किया जावें।

(गिरीश पाराशर)
नोडल अधिकारी एवं
शासन उप सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत अधिकारियों को भी अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें अन्यथा उक्त अधिकारियों की आगामी वेतन वृद्धि स्वीकृत नही की जावेः–

1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. मिशन निदेशक, आर.आर.एल.पी, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल जयपुर।

4. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. शासन उप सचिव (प्रशा.1), मुख्यालय राजस्थान जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर।
7. परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्ध ईकाई पश्चिमी राजस्थान, गरीबी शमन परियोजना एम्पावर, जोधपुर।
8. एसीपी मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देश/पत्र विभागीय वेबसाईट पर भी अपलोड करावें।
9. सम्बन्धित समस्त राजपत्रित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से अपना सम्पत्ति विवरण दिनांक 1.1.2016 की स्थिति में आवश्यक रूप से विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करावें अन्यथा आपकी आगामी वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं की जावेगी।

(गिरीश पाराशर)
नोडल अधिकारी एवं
शासन उप सचिव (प्रशा.1)